

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु शासनादेश सं0 124/XXX-2/22-30(13) 2017 दि0 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश सं0 1/46628/2022 दि0 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वृत्तीय संवर्ग में निम्न वरिष्ठ सहायक को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक	7वाँ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर	द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल	धारा 17 (1) (ग)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



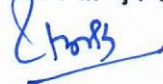
(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता 7वाँ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोपेश्वर/नैनीताल।
- श्री यशवन्त सिंह, वरिष्ठ सहायक, 7वाँ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
- अधिशाली अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को विभागीय वेब-साईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड पत्रावली।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431, E-Mail-cepwdua @ gmail.com , Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 836/05 व्यख-सा0/2022

दिनांक 09/जुलाई/2022

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु शासनादेश सं0 124/XXX-2/22-30(13) 2017 दि0 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश सं0 1/46628/2022 दि0 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वृत्तीय संवर्ग में निम्न वरिष्ठ सहायक को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द कुमार वरिष्ठ सहायक	6वाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी	10वाँ रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	धारा 17 (1) (ग)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी।
- मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता 6वाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 10वाँ रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- श्री अरविन्द कुमार, वरिष्ठ सहायक, 6वाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
- अधिसासी अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को विभागीय वैब-साईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड फ़ाइल।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

30.7.2022

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431, E-Mail-cepwdua @ gmail.com , Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक ...837/05 व्यख-सा0/2022

दिनांक 08 / जुलाई / 2022

:: कार्यालय ज्ञाप ::

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र 2022-23 हेतु शासनादेश सं0 124/XXX-2/22-30(13) 2017 दि0 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश सं0 1/46628/2022 दि0 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वृत्तीय संवर्ग में निम्न वरिष्ठ सहायक को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0 04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज भट्ट वरिष्ठ सहायक	8वाँ वृत्त लो0नि0वि0 टिहरी	द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल	धारा 17 (1) (ग)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
- मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 पौड़ी/हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता 8वाँ वृत्त लो0नि0वि0 टिहरी।
- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/नैनीताल।
- श्री मनोज भट्ट, वरिष्ठ सहायक, 8वाँ वृत्त लो0नि0वि0 टिहरी।
- अधिशाली अभियन्ता आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को विभागीय वेब-साईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड पत्रावली।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष